हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जारी तामिल कर नम्बर / दिनांक

5.16 पत्रावली पेश हुई। अपीलांट उ० २ कालू राम उप०
व देवली उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया
जिसमे कालू राम पुत्र रामा उर्फ रामा राम द्वारा
शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि मुअमिकर
के पिता रामा s/o मालू कौम बावरी सा० 68/2
GB के नाम से चक 9MD का मु०न० 13 प्र न० 103/42
के कि० न० 1 ता 25 कुल 25 बीघा (6.200 हैक्ट०) कृषि
भूमि आवंटन हुई थी मुअमिकर के पिता ने अपने
जीवन काल मे उक्त कृषि भूमि मे से कि० न० 1 ता 10
14 15 व 13 का 0.126 हैक्ट० कुल 3.162 हैक्टर
क्रमांक की वसीयत रोबरू गवाहान कलवह सिंह मजबी
व कालू सिंह मजबी दि० 30-11-06 को उपपंजीयक
अनूपगढ़ मे मुअमिकर के नाम से पंजीयन करवाई थी
मेरे पिता की मृत्यु दि० 16-12-2006 के बाद उक्त
वसीयत के आधार पर वसीयत मे दर्ज भूमि का
नामान्तरण दि० 21-10-2015 को स्वीकृत हो चुका
है। उक्त कृषि भूमि का शेष रकबा कि० न० 11, 12
13 का आधा 16 ता 25 कुल 12 बीघा (3.038 हैक्ट०)
रकबा मे से कि० न० 11, 12 एवं 13 का 0.127 हैक्टेयर
रकबा कुल 0.633 हैक्टेयर की फर्जी वसीयत मेरे
नाम से एवं कि० न० 16 ता 20 सालम, 21 ता 25 प्रत्येक
में 0.228 हैक्टेयर कुल 2.405 हैक्टेयर रकबा
की फर्जी वसीयत मेरे भाई माधुराम के नाम से
रोबरू गवाहान (श्रवण राम बावरी व कालूराम मजबी)
मेरे पिता की मृत्यु दि० 16-12-06 के बाद दिनांक
18.2.15 को शेष रकबा 3.038 हैक्ट० का तहसीलदार
(राजस्व) अनूपगढ़ द्वारा बरिन मालकी के प्रा० पत्र
विखण्डन नामान्तरण करने के आदेश दिये थे। उक्त
शेष रकबा 3.038 हैक्टर का कब्जा बलराज सिंह
पुत्र जगराज सिंह जटसिक्ख सा० 9MD के पास था
उसे बलराज सिंह का बड़ा भाई जसपाल सिंह एवं

दस्ती
कालूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सस्पेन्स रहा हुआ है उसके दबाव में आकर हमने फर्जी वसीयत तैयार करवाई थी। लेकिन तहसीलदार (राजस्व) अनूपशहर द्वारा दि 20.4.15 को विरासतन का नामांतरण स्वीकृत हो चुका था माबूराम मेरा बड़ा भाई है जो 8-10 वर्षों से लकवा रोग से पीड़ित है। सोचने समझने में असमर्थ है श्रीमान जी के न्यायालय में प्रस्तुत अपील पर जसपाल सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जाटव सा० ग्राम० द्वारा मेरे भाई माबूराम को बहला फुसला कर व मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके जरिए अधिवक्ता अपील पेश कर न्यायालय से दि 30.4.15 को स्थगन प्राप्त किया हुआ है फर्जी एवं कूटरचित वसीयत दि 15.10.06 के आधार पर पेश की गई अपील की तत्काल अपील को अस्वीकार (खारिज) की जाती है तो मुझको कोई आपत्ति उज्र एतराज नहीं है।
	प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत अपील कूटरचित एवं उनके फर्जी हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है जिस बाबत अपीलांट द्वारा अपील खारिज होने पर कोई उज्र एवं एतराज नहीं होने का शपथ पत्र पेश किया है अतः अपील अपीलांट अस्वीकार (खारिज) की जाती है पत्रावली बाद सब जुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।